(2)

13/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी अधिकारी तहसीलदार डूंगला से जवाब प्राप्त हो जाने से पत्रावली शीघ्र ही तलब की गई। तहसीलदार डूंगला ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2025/747 दिनांक 10.11.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि मौजा भौपजी का खेड़ा पटवार मण्डल बड़वाई के खाता सं. 37 में वर्णित आराजी नम्बर 51 रकबा 1.2100 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के पिता गणेश पुत्र वरदा द्वारा जवानमल जंवरलाल, हस्तीराम पुत्र नाथू से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी गई इस विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण दर्ज हुआ नामान्तरण सं. 62 को दर्ज करते समय गणेश पिता वरदा के स्थान पर गणेश पिता नवला दर्ज हो गया है जो कि लिपिकीय भूल से त्रुटिपूर्ण अंकित हो गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली का एवं संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रेकार्ड आदि का अवलोकन कर गहन परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरान्त पाया गया कि प्रार्थीगण के पिता द्वारा क्रय की गई भूमि के विक्रय विलेख के अनुसार ग्राम भौपजी का खेड़ा पटवार मण्डल बड़वाई के नामान्तरण सं. 62 भरते समय तत्कालीन पटवारी हल्का प्रार्थीगण के पिता गणेश पिता वरदा के स्थान पर गणेश पिता नवला दर्ज कर दिया गया है जो कि वर्तमान समय नकल जमाबंदी सम्वत 2073-76 स्थायी में अंकित है जो कि त्रुटिपूर्ण है। जिसको गणेश पिता वरदा कुलमी शुद्ध किया जाना न्यायसंगत है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट के प्रावधानानुसार पाया जाने से स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश दिया जाता है कि मौजा भौपजी का खेड़ा के वर्तमान खाता संख्या 37 में वर्णित गणेश पुत्र नवला के बजाय गणेश पुत्र वरदा कुलमी शुद्ध किया जाने की आवश्यक कार्यवाही तहसीलदार डूंगला द्वारा नियमानुसार की जावे। आदेश पृथक से जारी किया जाकर पालनार्थ प्रति तहसीलदार डूंगला को भेजी [illegible] निर्णय सिरनामा जाकर खुले न्यायालय में [illegible] गया पत्रावली फैसल [illegible] से कम हो)

13/11/25
उपखण्ड [illegible]
डूंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.01.20 17:34:43 IST
Reason: SelfAttested